न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 64/2017
GCMS No. : 2017/00136

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1. तहसीलदार, जैतारण लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार तहसील–जैतारण, जिला–पाली		1. भंवरी देवी पत्नी चाँदराम कौम– मेघवाल, निवासी– सोजतीगेट बिलाड़ा, जिला जोधपुर(राज.)

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा 177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू –: 03.04.2017

उपस्थितः– 1. तहसीलदार, जैतारण, पैरोकार सरकार।

–:: निर्णय ::– **दिनॉक :– 23/05/2022**

प्रार्थी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि भूमि हाल खसरा नंबर 935 कुल रकबा 2–00 बीघा, मौजा निमाज–प्रथम में स्थित है उक्त आराजी का वादी भूमि लैण्ड होल्डर है। प्रतिवादीगण आराजी जैर बहस के खातेदार काश्तकार है। यह है कि प्रतिवादी नंबर 01 ने जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र को कृषि के रूप में काम में न लेकर उक्त जमीन को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाएं किस्म परिवर्तित करके कंकरीट डालकर स्टॉक से जमीन का खुर्द बुर्द कर रहे है जिसका प्रतिवादीगण को हक नहीं है प्रतिवादीगण ने राजस्थान कानून के प्रावधानों व टीनेन्सी की शर्तो को भंग किया एवं बिना संपरिवर्तन आदेश के भूमि की किस्म को परिवर्तन की है, जिससे राजस्थान सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा टीनेन्सी की शर्तो को भंग करने व राजस्थान सरकार के खिलाफ हानिप्रद कार्य करने के कारण अब प्रतिवादीगण को जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र से बेदखल किया जाना व स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित हैं दावा हाजा के लिए मुखासमत दिनांक 24.03.2017 को पैदा हुआ जब पटवारी हल्का ने वादी को प्रतिवादीगण द्वारा जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र से के अवैध रूप से कंकरीट डालकर स्टॉक का कार्य करने की सुचना जरिये रिपोर्ट दी। वादपत्र को सुनने का हक अदालत हाज को धारा 177 92क, आर.टी एक्ट 1955 के तहत है। वाद वादी मय शपथ पत्र व डुप्लीकेट प्रति के पेश कर निवेदन है कि वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर वर्णित पैरा 01 वादपत्र से बेदखल किया जाये तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र को खुर्द बुर्द नहीं करे। अन्य सिद्धि जो मुफिद वादी हो एवं 289 आरटी एक्ट के तहत [illegible] जावे।

इस पर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिसेज सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:39:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

नके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। बहस प्रार्थी सरकारी पैरोकार तहसीलदार तारण की सुनी गई।

भू. अ. निरीक्षक वृत. निमाज द्वारा फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 24.02.021 पेश की गई, जो शामिल मिसल की गई। प्रकरण में सरकारी पैरोकार हसीलदार जैतारण की बहस सुनते हुये, उस पर मनन किया गया।

पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। हल्का टवारी जैतारण एवं भू. अ. निरीक्षक वृत. जैतारण की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 24.2.2021 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी का खसरा संख्या 35 है तथा खसरा संख्या 935 से लगता हुआ खसरा संख्या 935/2 जो कि गैर मुमकिन औद्योगिक क्षैत्र है, के रूप में दर्ज है जिस पर डामर प्लांट स्थापित एवं संचालित है। तहसीलदार जैतारण द्वारा दावे के साथ प्रस्तुत तत्समय पटवारी की मौका रपोर्ट दिनांक 22.03.2016 में खसरा संख्या 935 में कंक्रीट स्टोक पड़ा होना कित है हांलाकि कक्रीट कोई स्थायी संरचना के अन्तर्गत नही आता है साथ ही भू अभिलेख निरीक्षक निमाज की मौका फर्द दिनांक 24.02.2021 के अनुसार डामर लांट खसरा संख्या 935/2 रकबा 02-00 बीघा गैर मुमकिन औद्योगिक क्षैत्र में निर्मित एवं संचालित होना अंकित है। खसरा संख्या 935 में एक रहवासी मकान ना हुआ है तथा शेष भूमि खाली पड़ी है तथा पक्की चारदीवारी निर्मित है। इससे स्पष्ट है कि खातेदार द्वारा खसरा संख्या 935/2 गैर मुमकिन औद्योगिक क्षैत्र का ही अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है। वादग्रस्त आराजी वर्तमान में मौके पर खाली पड़ी है तथा एक रहवासी मकान निर्मित है, अतः ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी पर किसी प्रकार का हानिप्रद कार्य कारित किया जाना साक्ष्य से साबित नही होता है। अतः हस्तगत प्रकरण भली-भांति साबित नही होने से अस्वीकार/खारिज किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

-: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद वादी अंतर्गत धारा, 177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित नहीं होनें एवं सारहीन होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण,
(जिला-पाली)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

निर्णय आज दिनांक 23/05/2022 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण,
(जिला-पाली)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:59:41 IST
Reason: SelfAttested